



Am
2

ऑन लाईन नं. RCMS2019/00010

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 06/2019

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री जगदीशराय पुत्र श्री बाबूराम जिंदल (नमूना विक्रेता एवं मालिक)
मै० जिंदल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं-06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर
निवासी, नं-06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(5)/58

निर्णय

दिनांक : 25.03.2019

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2018 को दोपहर बाद 4.00 बजे श्री सुनील बिश्नोई, फ्लोरोसिसि अनुभाग, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म मै० जिंदल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं-06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर श्री जगदीशराय पुत्र बाबूराम जिंदल उपस्थित मिला। निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर दुकान का निरीक्षण किया तो उपरोक्त दुकान के अन्दर गोदाम में 35Kg Dhaniya Powder (Loose) युक्त 20 प्लास्टिक कट्टे आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट का शक होने पर नमूना जांच के-939 के नमूनीकरण के लिए एक मुंह खुले कट्टे 2Kg Dhaniya Powder (Loose) खरीदी जिसकी कीमत 200/-रूपये (अखरे दौ सौ रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाह श्री राकेश सचदेवा एवं श्री प्रवीण कुमार मिगलानी के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ Dhaniya Powder (Loose) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो मै० जिंदल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं-06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर के किराना स्टोर में Dhaniya Powder (Loose) दुकान के अन्दर गोदाम में 35Kg Dhaniya Powder (Loose) युक्त 20 प्लास्टिक कट्टे



अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए थे। जिसमें से खरीद शुदा 2.00Kg Dhaniya Powder (Loose) को बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक बोतलो में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं ढक्कन बंद कर उन पर टेप चिपकाई। चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक के 939 एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक के-939 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। नमूनीकरण के पश्चात शेष बचे Dhaniya Powder (Loose) को नियमानुसार जब्त कर नमूना विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/2028/एक्ट/2018/683 दिनांक 31.12.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-939

Dhaniya Powder (Loose) अमानक स्तर Contravene Regulation No.2.3.14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation 2011 because it sold in Loose condition. खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त जगदीशराय पुत्र श्री बाबूराम जिंदल मै0, जिंदल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं-06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर Dhaniya Powder (Loose) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26 धारा (2)(5)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 11.03.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री जगदीशराय पुत्र श्री बाबूराम जिंदल (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस Dhaniya Powder (Loose) का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार Contravene Regulation



12
श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

No.2.3.14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation 2011 because it sold in Loose condition पाया गया है। अप्रार्थी की दुकान में जिस धनिया पाउडर का नमूना लिया गया था उस समय हमारे पास पैकिंग सामग्री उपलब्ध नहीं होने की गलती है व मैं गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा व आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Dhaniya Powder (Loose)** का सैम्पल के-939 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/2028/ एक्ट/2018 /683 दिनांक 31.12.2018 द्वारा Contravene Regulation No.2.3.14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation 2011 because it sold in Loose condition होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 धारा (2)(5)/58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Dhaniya Powder (Loose)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार Contravene Regulation No.2.3.14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation 2011 because it sold in Loose condition पाया गया है। अप्रार्थी की दुकान में जिस धनिया पाउडर का नमूना लिया गया था उस समय हमारे पास पैकिंग सामग्री उपलब्ध नहीं होने की गलती है व मैं गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा व आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (5) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Dhaniya Powder (Loose)** विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(1) की श्रेणी में आता है। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्तों जगदीशराय पुत्र श्री बाबूराम जिंदल (नमूना विक्रेता एवं सांझेदार) पर Contravene Regulation No.2.3.14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation 2011 because it sold in Loose condition **Dhaniya Powder (Loose)** विक्रय करने पर धारा 26 (2)(5)/58 के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 20000/-रूपये (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) शास्त्रि अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Dhaniya Powder (Loose)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओ.पी.जैत्र)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर